प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 28 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री राजवीर सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-20-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री राजवीर सिंह, जो तुगलकपुर, थाना-पुरकाजी, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बीड़ी सिगरेट के उधार 270/- वापस मांगने को लेकर हुयी कहासुनी में बन्दी प्रदीप ने दिनांक 24-05-2004 को अपने तमंचे से गोली मारकर कपिल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-05/2005,06/2005 में भा०द०वि० की धारा-302, 3(2) (5) एस०सी०/एस०टी० एवं 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 12.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.10.2021 तक 17 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 04 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 04-10-2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 04 माह 13 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण अच्छा होने, जिला प्रोबेशन अधिकरी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र राजवीर सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी थी एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत उक्त प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को शासन के पत्र संख्या-2650/22-2-2023-17(75)/2021 दिनांक-04.03.2025 द्वारा प्रेषित किया गया। जिस पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-15/19/2025-न्यायिक अनुभाग-II, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, न्यायिक स्कंध/जे-II अनुभाग दिनांक-07.11.2025 द्वारा प्रकरण राज्य सरकार द्वारा भ०द०सं० की धारा-302 और एस०सी०/एस०टी० अधिनियम, 1989 की धारा-3(2)(5) से आच्छादित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर विचार किया गया।

"सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी अभिलिखित तथ्यों और उसके संबंध में संगत दस्तावेजों, यथा, सिद्धदोष बंदियों के समयपूर्व मुक्ति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, जेल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, आगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर एवं जेल चिकित्सा अधिकारी, आगरा की आख्या, माननीय न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, मुजफ्फरनगर के निर्णय दिनांक- 12.03.2007 और केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, विचार करने के उपरान्त, केन्द्रीय कारागार, आगरा में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषसिद्ध कैदी, प्रदीप पुत्र राजवीर सिंह, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है।"

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप (बन्दी संख्या-16035) पुत्र श्री राजवीर सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उक्त फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1436/2025/2650(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउंड फ्लोर, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1436/2025/2650/22-2-2023-17(75)/2021

दिनांक: 28 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री राजवीर सिंह, जो तुगलकपुर, थाना-पुरकाजी, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बीड़ी सिगरेट के उधार 270/- वापस मांगने को लेकर हुयी कहासुनी में बन्दी प्रदीप ने दिनांक 24-05-2004 को अपने तमंचे से गोली मारकर कपिल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 05/2005,06/2005 में भा०द०वि० की धारा-302, 3(2) (5) एस०सी०/एस०टी० एवं 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 12.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.10.2021 तक 17 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 04 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 04-10-2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 04 माह 13 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण अच्छा होने, जिला प्रोबेशन अधिकरी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र राजवीर सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी थी एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत उक्त प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को शासन के पत्र संख्या-2650/22-2-2023-17(75)/2021 दिनांक-04.03.2025 द्वारा प्रेषित किया गया। जिस पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-15/19/2025-न्यायिक अनुभाग-II, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, न्यायिक स्कंध/जे-II अनुभाग दिनांक-07.11.2025 द्वारा प्रकरण राज्य सरकार द्वारा भ०द०सं० की धारा-302 और एस०सी०/एस०टी० अधिनियम, 1989 की धारा-3(2)(5) से आच्छादित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर विचार किया गया।

"सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी अभिलिखित तथ्यों और उसके संबंध में संगत दस्तावेजों, यथा, सिद्धदोष बंदियों के समयपूर्व मुक्ति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, जेल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, आगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर एवं जेल चिकित्सा अधिकारी, आगरा की आख्या, माननीय न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, मुजफ्फरनगर के निर्णय दिनांक-12.03.2007 और केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, विचार करने के उपरान्त, केन्द्रीय कारागार, आगरा में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषसिद्ध कैदी, प्रदीप पुत्र राजवीर सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है।"

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in